भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 431

02.02.2026 को उत्तर के लिए

दिल्ली- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय

431. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:
श्री एम. के. राघवन:
श्रीमती महुआ मोइत्रा:
श्री के. सी. वेणुगोपाल:
श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परितर्वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआ) में वर्ष 2025 में दिल्ली तथा एनसीआर के आस-पास के जिलों में दर्ज किए गए वर्तमान औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक के स्तर की तुलना में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और श्रेणी-वार वायु गुणवत्ता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में विभिन्न प्रदूषक श्रेणियों में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन महीनों के दौरान प्रदूषण के स्तर में क्षेत्रीय योगदान का ब्यौरा क्या है और इसमें प्रमुख कारकों तथा वाहनों के उत्सर्जन, निर्माण धूल, औद्योगिक प्रदूषण, बायोमास दहन, पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने और कचरा जलाने का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या दिल्ली (एनसीआर) सहित उत्तर भारत में बार-बार होने वाले वायु प्रदूषण संकट की कोई स्वतंत्र जांच शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी), ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी), वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) और अन्य शमन उपायों से दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय और निरंतर कमी आई है और यदि हां, तो वर्ष 2019 में वायु गुणवत्ता में वर्ष-वार सुधार का ब्यौरा क्या है;

(ङ) दिल्ली में वायु प्रदूषण संकट के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी अंतर-राज्यीय समन्वय, प्रवर्तन, सामाजिक परिवहन के विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और वास्तविक समय प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और चरण-तीन के तहत लागू किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने दिल्ली के निवासियों पर वायु प्रदूषण के गिरते स्तर के स्वास्थ्य प्रभावों, जैसे श्वसन संबंधी बीमारियां, जीवन प्रत्याशा में कमी और आर्थिक नुकसान पर कोई हालिया अध्ययन कराया है;

(छ) वर्ष 2014 से दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उक्त वर्ष से परिवहन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या हे और केंद्र सरकार द्वारा वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इसका कितना उपयोग हुआ है; और

(ज) क्या सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के समन्वय से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, सार्वजनिक परिवहन में सुधार, हरित क्षेत्र के विस्तार और अवशेष प्रबंधन जैसे दीर्घकालिक उपायों को अपनाने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान दिल्ली के लिए औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) निम्नलिखित है:

वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
औसत एक्यूआई	209	209	204	209	201

पिछले पाँच वर्षों के दौरान दिल्ली-एनसीआर के शेष शहरों के एक्यूआई मान **अनुलग्नक–I** में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली में वायु प्रदूषण अनेक कारकों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। इसमें दिल्ली-एनसीआर के उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में मानवजनित गतिविधियों का उच्च स्तर शामिल है, जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे–वाहन प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण एवं विध्वंस परियोजनाओं से उत्पन्न धूल, सड़कों एवं खुले क्षेत्रों की धूल, बायोमास का दहन, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का जलना, लैंडफिल स्थलों में आग, विभिन्न प्रकार के स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण आदि से उत्पन्न होता है। मानसूनोत्तर एवं शीतकालीन महीनों के दौरान कम तापमान, अल्प मिश्रण ऊँचाई, तापीय प्रतिलोम परिस्थितियाँ तथा स्थिर पवनें प्रदूषकों को जकड़ लेती हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है। पराली जलाने जैसी आकस्मिक घटनाओं से होने वाले उत्सर्जन इस स्थिति को और अधिक गंभीर बना देते हैं।

एनसीआर तथा आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा विशेषज्ञों के समूह के माध्यम से 'दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई के बिगड़ने के कारणों की पहचान' विषय पर किए गए हालिया अध्ययन के आधार पर, दिल्ली में वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले एनसीआर के भीतर एवं उससे बाहर के निम्नलिखित स्रोतों की पहचान की गई है:

क्षेत्र	योगदान दर (%)	
	शीत	ग्रीष्म
परिवहन	19-24	18-21
उद्योग	08-10	09-15
धूल (सड़क, मिट्टी तथा निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियाँ)	10-18	25-31
बायोमास दहन (जिसमें नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, आवासीय तथा फसल अवशेष जलाना शामिल है)	17-23	11-14
माध्यमिक कणिकाएँ (जो परिवहन, उद्योग, बायोमास दहन आदि से उत्सर्जित गैसीय पदार्थों से परिवर्तित होकर बनती हैं)	24-28	16-19

(घ) से (ज) दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने एनसीआर एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के अंतर्गत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की स्थापना की है, ताकि दिल्ली-एनसीआर और समीपवर्ती क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान एवं समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इस अधिनियम के अंतर्गत सीएक्यूएम को वायु गुणवत्ता के संरक्षण एवं उसमें सुधार के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विभिन्न एजेंसियों को आवश्यक उपाय करने तथा दिशा-निर्देश जारी करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

सरकार द्वारा दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान सभी प्रमुख हितधारकों को सम्मिलित करते हुए सामूहिक, सहयोगात्मक एवं सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण से किया गया है। अब तक वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के माध्यम से क्षेत्र में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विभिन्न कार्यों को विशेष रूप से मार्गदर्शन एवं निर्देश देने के लिए 95 वैधानिक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इन निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक निगरानी तंत्र भी स्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत दिल्ली-एनसीआर के 6 शहरों (अलवर, नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद एवं मेरठ) को वायु गुणवत्ता सुधार उपायों के कार्यान्वयन हेतु क्रिटिकल गैप फंडिंग प्रदान की गई है। इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अन्य 19 शहरों को भी वायु गुणवत्ता सुधार उपायों के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान की गई है।

एनसीएपी के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों के आवंटन एवं उपयोग से संबंधित ब्यौरा

अनुलग्नक–II में दिया गया है।

एनसीएपी के अंतर्गत केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अभिसरण के माध्यम से संसाधनों की उपलब्धता को भी बढ़ावा दिया जाता है, जैसे–अमृत 1.0 एवं 2.0, स्वच्छ भारत मिशन 1.0 एवं 2.0, फेम-II, ग्रैंड चैलेंज योजना तथा मेट्रो रेल परियोजनाएँ, जिनके अंतर्गत इन शहरों को वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु निधियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग अपनी-

अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत किए गए बजटीय प्रावधानों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

वर्ष 2018-19 से 2025-26 की अवधि के दौरान (दिनांक 20.01.2026 तक), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत धान की पराली जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान तथा फसल अवशेष प्रबंधन हेतु आवश्यक मशीनरी पर अनुदान प्रदान करने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली को कुल ₹4027.88 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। इसमें पंजाब को ₹2026.45 करोड़, हरियाणा को ₹1156.71करोड़ रु.,उत्तर प्रदेश को ₹838.67 करोड़ रु. तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली को ₹6.05 करोड़ रु. शामिल हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा धान की पराली पर आधारित 27 पेलेटाइजेशन एवं टॉरिफिकेशन संयंत्रों (पंजाब में 23 तथा हरियाणा में 4) की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिनकी वार्षिक धान पराली उपयोग क्षमता 5.16 लाख टन है।

दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के लिए 5340 सीएनजी/ई-बसों को तैनात किया गया है, जिसमें 3535 ई-बसें शामिल हैं। पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत दिल्ली के लिए 2800 ई-बसों और 1100 ई-ट्रकों का आवंटन किया गया है। मोटर वाहन एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स संस्थाओं को यह निर्देश दिया गया है कि वे दिनांक 01.01.2026 से डीजल या पेट्रोल से चलने वाले किसी भी पारंपरिक आईसीई वाहनों को अपने मौजूदा चार पहिया एलसीवी चार पहिया एलजीवी (एन1 श्रेणी 3.5 टन तक) और दोपहिया वाहनों के बेड़े में शामिल न करें। हालांकि, दिनांक 31.12.2026 तक मौजूदा बेड़े में बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले दोपहिया वाहनों को शामिल करने की अनुमति दी गई है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर, पीएम-ईबस सेवा के तहत अब तक एनसीआर क्षेत्र के भाग लेने वाले शहरों (फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, करनाल और अलवर) के लिए कुल 450 इलेक्ट्रिक बसों को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत बिहाइंड-द-मीटर (बीटीएम) पावर और सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एनसीआर क्षेत्र को अब तक कुल 235.77 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है। विशिष्ट रूप से इलेक्ट्रिक बसें प्रदान करके, यह योजना उत्सर्जन को कम करने और सतत गतिशीलता को बढ़ावा देने में मदद करती है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2014-15 से आगे दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में मेट्रो रेल/आरआरटीएस परियोजनाओं के लिए 66718.47 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

निकटवर्ती राज्यों से आने वाली सार्वजनिक परिवहन बसों को बीएस-VI डीजल/सीएनजी/ईवी में स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए गए थे। दिनांक 01.11.2026 से, केवल सीएनजी/ईवी/बीएस-VI डीजल बसों, जिनमें पर्यटक बसें भी शामिल हैं, को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है।

एनसीआर के सभी उद्योगों को अनुमोदित ईंधन में स्थानांतरित कर दिया गया है। दिल्ली-एनसीआर में 240 औद्योगिक क्षेत्रों में से 224 औद्योगिक क्षेत्रों को पीएनजी कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, 6 को

कैस्केड सिस्टम के माध्यम से प्रदान किया गया है। एनसीआर में उद्योगों के लिए सख्त उत्सर्जन मानदंडों को अनिवार्य करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

सीपीसीबी ने डीपीसीसी/एनसीआर एसपीसीबी को शेष वायु प्रदूषणकारी रेड श्रेणियों (मध्यम और बड़े), सामान्य सुविधाओं और 17 श्रेणी के उद्योगों में दिनांक 01.10.2025 को और कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और धातु उद्योगों में दिनांक 09.10.2025 को ऑनलाइन सतत निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापना के लिए निर्देश जारी किए हैं, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑनलाइन सतत निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना की प्रगति पर बारीकी से नजर रखी गई।

उत्सर्जन मानदंडों को लागू करने के लिए उद्योगों का नियमित निरीक्षण किया गया है और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एनसीआर क्षेत्र में अब तक औद्योगिक इकाइयों के 12,852 निरीक्षणों में से, उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ 792 को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) एक आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्य योजना है जो दिल्ली की वायु गुणवत्ता के आधार पर एक सेट के लिए आपातकालीन निवारक/प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की मांग करती है।

जीआरएपी के चरण-3 के तहत, दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) के चलने पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके अलावा, दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-IV और इससे निम्न श्रेणी के डीजल से चलने वाले एलसीवी को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, सिवाय उन वाहनों के जो आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करते थे या आवश्यक सेवाएं प्रदान करते थे, और इसी तरह के प्रतिबंध एस-IV मानकों या इससे निम्न श्रेणी के दिल्ली-पंजीकृत डीज़ल से चलने वाले एमजीवी पर लगाए गए थे।

अनुलग्नक- I

2021 से 2025 के दौरान दिल्ली-NCR के शहरों में एयर क्वालिटी (AQI कैटेगरी के तहत दिनों के हिसाब से)

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	शहर	2021						2022						2023						2024						2025					
		अच्छा	संतोषजनक	मध्यम	खराब	बहुत खराब	गंभीर	अच्छा	संतोषजनक	मध्यम	खराब	बहुत खराब	गंभीर	अच्छा	संतोषजनक	मध्यम	खराब	बहुत खराब	गंभीर	अच्छा	संतोषजनक	मध्यम	खराब	बहुत खराब	गंभीर	अच्छा	संतोषजनक	मध्यम	खराब	बहुत खराब	गंभीर
		(0–50)	(51–100)	(101–200)	(201–300)	(301–400)	(>400)	(0–50)	(51–100)	(101–200)	(201–300)	(301–400)	(>400)	(0–50)	(51–100)	(101–200)	(201–300)	(301–400)	(>400)	(0–50)	(51–100)	(101–200)	(201–300)	(301–400)	(>400)	(0–50)	(51–100)	(101–200)	(201–300)	(301–400)	(>400)
दिल्ली	दिल्ली	1	72	124	80	64	24	3	65	95	130	66	6	1	60	145	77	67	15	0	65	142	73	69	17	0	79	121	86	71	8
हरियाणा	बहादुरगढ़	14	84	100	90	52	4	25	68	93	117	25	2	20	91	138	60	32	4	27	63	118	86	22	3	1	7	8	26	31	5
हरियाणा	बल्लभगढ़	9	94	111	80	37	7	19	84	128	82	23	1	35	104	104	65	27	0	18	57	133	109	14	0	1	4	14	32	27	0
हरियाणा	भिवानी	11	96	161	42	16	2	11	88	117	71	18	2	11	118	153	47	24	0	19	116	147	57	5	2	12	0	28	32	12	1
हरियाणा	चरखी दादरी	21	62	152	56	34	3	20	56	133	91	20	3	15	97	140	86	17	0	32	83	162	64	13	0	10	15	48	72	26	0
हरियाणा	धारूहेड़ा	3	65	112	90	35	1	6	25	89	91	49	2	11	40	123	88	37	2	16	57	118	73	7	1	2	2	10	26	33	3
हरियाणा	फरीदाबाद	3	68	115	97	58	22	7	38	118	119	65	3	3	67	165	70	48	11	7	78	140	121	19	0	0	34	87	66	0	0
हरियाणा	गुरुग्राम	6	90	119	81	64	5	9	39	116	140	45	2	0	49	171	104	38	3	1	60	140	131	31	2	9	59	118	117	32	0
हरियाणा	जींद	31	62	114	74	44	12	15	78	109	67	23	2	0	140	117	35	17	7	3	152	122	37	13	0	5	8	16	34	19	2
हरियाणा	करनाल	27	113	126	63	6	0	52	87	142	41	4	0	63	152	91	30	9	0	58	131	125	24	2	0	0	6	32	41	4	0
हरियाणा	मंडीखेड़ा	42	136	110	27	7	0	54	172	107	1	1	0	79	134	111	6	1	0	45	135	132	11	0	0	0	34	41	8	0	0
हरियाणा	मानेसर	7	60	96	91	46	7	10	53	82	106	32	3	11	113	116	77	33	0	18	126	124	48	8	0	2	5	12	38	26	0
हरियाणा	नारनौल	23	55	127	77	27	0	58	67	161	37	1	0	22	84	148	36	19	2	55	148	93	12	4	0	1	12	23	44	6	0
हरियाणा	पलवल	19	112	158	25	2	0	25	126	164	10	1	0	91	179	59	8	1	0	41	137	138	5	1	0	1	31	45	4	0	0

हरियाणा	पानीपत	14	70	140	47	30	7	18	55	124	37	10	0	19	97	168	23	7	0	2	147	134	15	6	0	2	3	20	38	7	1
हरियाणा	रोहतक	0	89	134	62	51	5	26	49	92	111	22	2	48	133	88	50	30	2	38	94	124	76	19	2	1	9	36	24	23	4
हरियाणा	सोनीपत	9	39	164	82	27	4	13	48	114	57	15	0	3	32	112	53	21	4	32	112	82	49	18	1	0	0	2	40	27	0
राजस्थान	अलवर	21	240	96	5	0	0	9	222	112	4	0	0	11	264	69	17	0	0	36	232	89	4	0	0	7	267	76	1	0	0
राजस्थान	भरतपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	79	142	56	20	0	70	62	161	53	8	0	70	122	158	13	0	0
राजस्थान	भिवाड़ी	1	47	94	125	82	6	6	45	119	115	58	2	5	62	153	86	34	5	1	72	166	99	21	1	8	98	147	78	32	0
उत्तर प्रदेश	बागपत	22	53	94	93	65	12	39	42	94	74	24	1	7	70	114	85	31	0	33	83	161	72	4	0	16	46	118	67	26	3
उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	43	56	91	90	66	13	34	53	107	139	28	1	30	91	162	74	5	0	44	62	178	69	7	1	34	74	169	68	18	1
उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	9	59	95	93	87	22	12	54	101	132	63	2	11	63	158	87	42	3	15	61	162	84	41	3	6	79	145	67	54	14
उत्तर प्रदेश	ग्रेटर नोएडा	10	68	106	87	77	16	12	66	102	118	56	8	3	36	148	113	52	13	3	35	142	133	52	1	1	69	180	65	40	9
उत्तर प्रदेश	हापुड़	37	98	108	48	28	8	31	66	125	87	29	1	48	151	80	48	15	0	48	91	130	60	19	3	37	125	97	53	34	3
उत्तर प्रदेश	खुर्जा	0	0	0	0	0	0	15	56	71	39	3	0	12	143	138	34	1	0	22	128	138	32	6	0	26	85	162	39	15	0
उत्तर प्रदेश	मेरठ	27	70	94	101	66	7	28	53	122	119	39	1	22	77	123	95	46	1	46	81	158	73	8	0	27	114	136	50	37	1
उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर	4	86	113	79	41	2	11	63	94	115	51	1	9	52	115	93	33	0	14	62	134	114	27	0	20	125	126	59	24	0
उत्तर प्रदेश	नोएडा	4	70	130	67	71	21	8	68	105	121	59	3	4	63	159	78	55	5	11	72	130	108	43	2	7	81	171	42	50	14

अनुलग्नक- II

प्रोग्राम (NCAP) के तहत दिल्ली-NCR के शहरों को फंड जारी करने और इस्तेमाल करने की जानकारी

क्र.सं.	शहर	जारी किया गया फंड (करोड़ रुपये में)								उपयोग की गई निधि (करोड़ रुपये में)						
		वित्तीय वर्ष 19-20	वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 23-24	वित्त वर्ष 24-25	कुल	वित्त वर्ष 25-26*	वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 23-24	वित्त वर्ष 24-25	वित्त वर्ष 25-26	कुल
1.	दिल्ली	-	0.00	11.25	22.50	8.94	38.67	**81.36**	18.41	-	-	**7.55**	**5.20**	**1.35**	-	**14.10**
2.	नोएडा	-	0.00	6.67	15.28	8.94	24.81	**55.70**	45.08	-	-	-	**1.43**	**2.01**	**26.54**	**29.98**
3.	अलवर	0.06	1.90	-	7.66	12.27	3.51	**25.40**	17.87	-	**0.04**	**1.65**	**5.20**	**9.94**	**5.11**	**21.94**
4.	मेरठ	-	72.00	13.59	53.60	14.43	34.37	**187.99**	-	**6.93**	**20.67**	**23.12**	**67.13**	**35.13**	**7.67**	**160.65**
5.	फरीदाबाद	-	48.00	6.25	19.28	-	33.61	**107.14**	31.83	**0.00**	**6.05**	**6.35**	**16.56**	**15.12**	**5.79**	**49.87**
6.	गाजियाबाद	-	121.00	15.25	-	17.17	104.47	**257.89**	17.69	**0.00**	**39.79**	**34.64**	**58.12**	**15.72**	**70.66**	**218.93**
कुल जारी निधि								**715.48**	**130.88**	**कुल उपयोगित निधि**						**495.47**

*वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित फंड।